

महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 105

महिला और बाल विकास मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	10617.30	71.19	10688.49	12650.00	83.00	12733.00	16100.00	83.00	16183.00	18500.00	84.00	18584.00	
पूँजी	
जोड़	10617.30	71.19	10688.49	12650.00	83.00	12733.00	16100.00	83.00	16183.00	18500.00	84.00	18584.00	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	0.66	19.35	20.01	2.00	20.40	22.40	2.00	23.56	25.56	2.00	22.60	24.60
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण													
बाल कल्याण													
2. समेकित बाल विकास योजनाएं (आईसीडीएस)	2235	19.13	...	19.13	28.52	...	28.52	30.52	...	30.52	35.84	...	35.84
3601	9660.13	...	9660.13	8848.45	...	8848.45	12537.01	...	12537.01	14074.46	...	14074.46	
3602	84.00	...	84.00	87.22	...	87.22	100.06	...	100.06	139.70	...	139.70	
जोड़	<i>9763.26</i>	...	<i>9763.26</i>	<i>8964.19</i>	...	<i>8964.19</i>	<i>12667.59</i>	...	<i>12667.59</i>	<i>14250.00</i>	...	<i>14250.00</i>	
3. विश्व बैंक आईसीडीएस-IV परियोजना	2235	75.00	...	75.00	17.00	...	17.00	14.79	...	14.79
3601	253.00	...	253.00	14.80	...	14.80	88.00	...	88.00
3602	2.00	...	2.00	0.20	...	0.20	0.01	...	0.01
जोड़	<i>330.00</i>	...	<i>330.00</i>	<i>32.00</i>	...	<i>32.00</i>	<i>102.80</i>	...	<i>102.80</i>
4. यूनिसेफ को अंशदान	2235	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80
5. राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी)	2235	7.01	14.80	21.81	9.90	15.00	24.90	9.90	16.00	25.90	10.80	16.50	27.30
6. कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम	2235	69.36	...	69.36	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50	99.00	...	99.00
7. कामकाजी बच्चों के कल्याण और जरूरतमंद बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की स्कीम	2235	10.19	...	10.19	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00
8. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सीएआरए)	2235	1.86	1.35	3.21	6.30	2.00	8.30	6.30	2.00	8.30	8.10	2.10	10.20
9. समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	2235	18.29	...	18.29	39.00	...	39.00	30.30	...	30.30	80.00	...	80.00
3601	93.37	...	93.37	196.00	...	196.00	151.10	...	151.10	270.00	...	270.00	
3602	3.45	...	3.45	8.00	...	8.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00	
जोड़	<i>115.11</i>	...	<i>115.11</i>	<i>243.00</i>	...	<i>243.00</i>	<i>186.40</i>	...	<i>186.40</i>	<i>360.00</i>	...	<i>360.00</i>	
10. बालिकाओं हेतु बीमा सहित सशर्त नकद हस्तांतरण स्कीम (धनलक्ष्मी)	2235	1.83	...	1.83	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
11. किशोरियों की अधिकारिता के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी)	2235	0.22	...	0.22	7.20	...	7.20	7.20	...	7.20	7.20	...	7.20
	3601	325.65	...	325.65	656.60	...	656.60	656.60	...	656.60	656.60	...	656.60
	3602	3.64	...	3.64	11.20	...	11.20	11.20	...	11.20	11.20	...	11.20
	जोड़	329.51	...	329.51	675.00	...	675.00	675.00	...	675.00	675.00	...	675.00
12. बालिका विशिष्ट जिला कार्रवाई योजना	2235	1.00	...	1.00
13. किशोरों के समग्र विकास की स्कीम - सक्षम	2235	0.08	...	0.08
	3601	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01
	जोड़	0.10	...	0.10
14. अन्य योजनाएं	2235	36.86	0.47	37.33	59.31	0.68	59.99	59.31	0.72	60.03	60.50	0.68	61.18
जोड़-बाल कल्याण		10334.99	20.42	10355.41	10383.20	21.48	10404.68	13727.00	22.52	13749.52	15581.30	23.08	15604.38
महिला कल्याण													
15. महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम	2235	7.45	...	7.45	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	9.00	...	9.00
16. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल	2235	13.85	...	13.85	8.98	...	8.98	3.88	...	3.88	8.98	...	8.98
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	13.85	...	13.85	9.00	...	9.00	3.90	...	3.90	9.00	...	9.00
17. प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता	2235	24.09	...	24.09	17.50	...	17.50	9.00	...	9.00	17.50	...	17.50
18. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	2235	40.86	18.53	59.39	41.40	19.18	60.58	41.40	21.18	62.58	36.00	20.85	56.85
19. अल्पावास गृह	2235	24.45	...	24.45	33.30	...	33.30	33.30	...	33.30
20. जागरूकता सृजन कार्यक्रम	2235	3.49	...	3.49	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	9.00	...	9.00
21. राष्ट्रीय महिला आयोग	2235	4.99	2.46	7.45	8.10	3.30	11.40	8.10	3.30	11.40	9.90	4.13	14.03
22. राष्ट्रीय महिला कोष	2235	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00
23. स्वयंसिद्धा-चरण-II	2235	0.38	...	0.38
	3601	2.16	...	2.16
	3602	0.16	...	0.16
	जोड़	2.70	...	2.70
24. स्वाधार	2235	34.21	...	34.21	26.50	...	26.50	26.50	...	26.50	90.00	...	90.00
25. देह व्यापार की रोकथाम की व्यापक योजना (उज्ज्वला)	2235	8.68	...	8.68	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	10.80	...	10.80
26. प्रियदर्शिनी स्कीम	2235	5.90	...	5.90	26.10	...	26.10	15.10	...	15.10	15.00	...	15.00
27. महिलोन्मुख बजट आयोजना और लैंगिक आंकड़े	2235	0.36	...	0.36	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90
28. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	2235	0.32	...	0.32	5.80	...	5.80	2.10	...	2.10	5.80	...	5.80
	3601	111.60	...	111.60	455.60	...	455.60	337.65	...	337.65	455.60	...	455.60

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
29. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन	3602	4.32	...	4.32	6.60	...	6.60	11.25	...	11.25	6.60	...	6.60
	जोड़	116.24	...	116.24	468.00	...	468.00	351.00	...	351.00	468.00	...	468.00
	2235	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00	11.80	...	11.80
	3601	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	10.00	...	10.00
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.70	...	0.70
	जोड़	36.00	...	36.00	36.00	...	36.00	22.50	...	22.50
30. महिला हेल्पलाईन	2235	2.00	...	2.00
31. महिला अधिकारों पर दूरस्थल अधिगम कार्यक्रम	2235	0.10	...	0.10
32. संकट निवारण एकल केंद्र	3601	4.00	...	4.00
	3602	1.00	...	1.00
	जोड़	5.00	...	5.00
33. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन	2235	1.00	...	1.00
	3601	18.00	...	18.00
	3602	1.00	...	1.00
	जोड़	20.00	...	20.00
34. अन्य कार्यक्रम (बलात्कार की शिकार महिलाओं को राहत एवं पुनर्वास)	2235	...	0.16	0.16	0.30	7.20	7.50	0.30	1.00	1.30	0.05	1.00	1.05
	3601	122.70	...	122.70	30.00	...	30.00	17.50	...	17.50
	3602	3.00	...	3.00	1.20	...	1.20	0.45	...	0.45
	जोड़	...	0.16	0.16	126.00	7.20	133.20	31.50	1.00	32.50	18.00	1.00	19.00
जोड़-महिला कल्याण		284.57	21.15	305.72	900.80	29.68	930.48	662.00	25.48	687.48	832.70	25.98	858.68
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पोषाहार		10619.56	41.57	10661.13	11284.00	51.16	11335.16	14389.00	48.00	14437.00	16414.00	49.06	16463.06
35. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	2236	43.00	...	43.00	43.00	...	43.00	224.98	...	224.98
	3601	46.00	...	46.00	46.00	...	46.00	0.01	...	0.01
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01
	जोड़	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	225.00	...	225.00
36. अन्य योजनाएं (पोषाहार शिक्षा योजना)	2236	8.58	10.27	18.85	9.00	11.44	20.44	9.00	11.44	20.44	9.00	12.34	21.34
जोड़-पोषाहार		8.58	10.27	18.85	99.00	11.44	110.44	99.00	11.44	110.44	234.00	12.34	246.34
37. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान													
37.01 समाज कल्याण-बाल कल्याण हेतु प्रावधान	2552	1080.70	...	1080.70	1500.70	...	1500.70	1660.60	...	1660.60
37.02 समाज कल्याण-महिला कल्याण हेतु	2552	173.30	...	173.30	98.30	...	98.30	163.40	...	163.40

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
प्रावधान												
37.03 पोषाहार हेतु प्रावधान	2552	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	26.00	...	26.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ	1265.00	...	1265.00	1610.00	...	1610.00	1850.00	...	1850.00
परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान												
38. वास्तविक वसूलियां	2235	-11.49	...	-11.49
	2236
	2251	-0.01	...	-0.01
जोड़	...	-11.50	...	-11.50
कुल जोड़	10617.30	71.19	10688.49	12650.00	83.00	12733.00	16100.00	83.00	16183.00	18500.00	84.00	18584.00
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय												
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	0.65	...	0.65	2.00	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
2. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	10608.07	...	10608.07	11284.00	...	11284.00	...	14389.00	16414.00	...	16414.00
3. पोषण	22236	8.58	...	8.58	99.00	...	99.00	...	99.00	234.00	...	234.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	1265.00	...	1265.00	...	1610.00	1850.00	...	1850.00
जोड़	10617.30	...	10617.30	12650.00	...	12650.00	16100.00	...	16100.00	18500.00	...	18500.00

1. **सचिवालय - सामाजिक सेवाएं:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर खर्च हेतु है। इसमें मंत्रालय में ई-शासन कार्यकलापों के सुदृढीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की खरीद, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता पर व्यय भी शामिल है।

2. **समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.):** इसके अंतर्गत प्रावधान छह वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को स्वास्थ्य, पोषण तथा शैक्षणिक सेवाओं का समेकित पैकेज प्रदान करने के लिए है। इस पैकेज में पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा शामिल है। स्कीम को सर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार ने 7076 परियोजनाएं और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए हैं, जिनमें 20 हजार मांग पर आंगनवाड़ियां शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2009-10 से भारत सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच आई.सी.डी.एस. की निधियन पद्धति में आशोधन किया है। पूरक पोषण घटक को छोड़कर अन्य सभी घटकों हेतु केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच राशि के बंटवारे की पद्धति को बदलकर 90:10 कर दिया गया है। पूरक पोषण कार्यक्रम हेतु पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए अनुपात

50:50 बरकरार है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में पूरक पोषण के लिए अनुपात 90:10 कर दिया गया है। आई.सी.डी.एस. हेतु आबंटन 2011-12 में 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2012-13 में 15,850 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन हेतु 1600.00 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

3. **विश्व बैंक आई.सी.डी.एस.-IV परियोजना:** इसके अंतर्गत ऐसे चुनिंदा जिलों में, जहां बाल कुपोषण का स्तर बहुत ऊंचा है, आवश्यक तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता के माध्यम से प्रणाली को सुदृढ बनाने और सेवा प्रदायगी में सुधार करने पर बल दिया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी कार्यकलाप आई.सी.डी.एस.(सामान्य) के अंतर्गत चलाई जा रही गतिविधियों के अतिरिक्त होंगे। 2012-13 में परियोजना हेतु 102.80 करोड़ रुपये के प्रावधान में 71.96 करोड़ रुपये का बाह्य सहायता घटक भी शामिल है।

4. **यूनीसेफ को अंशदान:** यह प्रावधान यूनीसेफ को भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान और नई दिल्ली में इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय के लिए है।

5. **राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड):** इसका उद्देश्य बच्चों के सामाजिक विकास, बाल विकास के व्यापक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय बाल नीति के अनुपालनार्थ कार्यक्रमों के संवर्धन हेतु स्वैच्छिक कार्रवाई का विकास और प्रोत्साहित करना है। यह संस्थान अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों को आयोजित करता है, जन-सहयोग तथा बाल विकास के क्षेत्र में सूचना सेवाएं प्रदान करता है तथा गुवाहाटी, बेंगलूर, इंदौर और लखनऊ स्थित अपने चार क्षेत्रीय केन्द्रों सहित नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परामर्श सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। यह संस्थान आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं तथा आईसीपीएस तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं हेतु एक अग्रणी प्रशिक्षण अभिकरण के रूप में उभर कर आया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में मोहाली और बिहार में पटना में इस संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है।

6. **कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम:** स्कीम का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जिनकी पारिवारिक आय 12,000/-रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, के 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिवस देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत चलाए जाने वाले शिशु गृह बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच एवं प्रतिकरण आदि सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। 2012-13 के दौरान 110 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

7. **देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य कामकाजी बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे कि ऐसे बच्चों जिन्होंने या तो शिक्षा प्रणाली में प्रवेश नहीं लिया है अथवा किन्हीं अन्य कारणों से उनकी शिक्षा अधूरी रह गई है, उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में प्रवेश पुनः प्रवेश दिलाया जा सके, इस कार्यक्रम के अंतर्गत (श्रम मंत्रालय की परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए शहरी क्षेत्रों में रहने वाले) बाल श्रमिकों तथा संभावित बाल श्रमिकों, विशेषकर मलिन बस्तियों/फुटपाथ पर जीवन बिताने वाले, रेलवे प्लेटफार्मों पर रहने वाले, दुकानों एवं ढाबों में काम करने वाले बच्चों के समग्र विकास हेतु सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2012-13 के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1.00 करोड़ रुपये शामिल है।

8. **केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण:** केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण - (सीएआरए) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य भारतीय बच्चों के देश में और देश से बाहर दत्तक ग्रहण को विनियमित और मानीटरन करना है। देश के बाहर दत्तक ग्रहण पर हेग अभिसमय 1993 जिसका भारत ने वर्ष 2003 में अनुसमर्थन किया के प्रावधानों के अनुसार देश के बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी कार्य हेतु कारा केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में अभिकल्पित है। सरकार अपने संबद्ध/मान्य प्राप्त दत्तक ग्रहण अभिकरणों के माध्यम से मुख्य रूप से अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्हित किए गए बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी कार्य करता है।

9. **समेकित बाल संरक्षण स्कीम:** मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रायोजित इस स्कीम का प्रारंभ देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा असुरक्षित वर्गों के अन्य बच्चों के व्यापक विकास हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए किया है। यह स्कीम वर्ष 2009-10 से मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से वित्तीय लागत में भागीदारी के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। अब तक 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम घटकों में आश्रय गृह, बाल गृह, प्रेक्षण गृह विशेष गृह जैसी

संस्थागत सेवाएं; केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर समर्पित सेवा प्रदायगी संरचनाएं; प्रायोजन, देखभाल, दत्तक ग्रहण, देखभाल उपरांत कार्यक्रम के माध्यम से परिवार आधारित संस्थागत देखभाल; चाइल्डलाइन तथा बालक खोज प्रणाली के माध्यम से आपात सेवाएं शामिल हैं। अब तक देश में 548 बाल कल्याण समितियों और 561 किशोर कारा बोर्डों की स्थापना की जा चुकी है। समेकित बाल संरक्षण स्कीम में मौजूदा बाल संरक्षण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, अर्थात् (1) किशोर न्याय कार्यक्रम, (2) बेसहारा बच्चों के लिए एक समेकित कार्यक्रम और (3) एक ही केन्द्र से देश के भीतर दत्तक ग्रहण प्रोत्साहित करने और नए उपाय करने हेतु गृहों (शिशु गृहों) को सहायता स्कीम। वर्ष 2012-13 के दौरान 400 करोड़ रूपए की बजटीय व्यवस्था की गई है। जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपये शामिल हैं।

10. **बालिकाओं के लिए बीमा सहित सशर्त नकदी अंतरण स्कीम (धनलक्ष्मी):** यह स्कीम 2008 में शुरू की गई थी - यह स्कीम केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है जो कार्यान्वयन सात राज्यों यथा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के 11 ब्लॉकों में प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। यह स्कीम बालिकाओं के साथ उनके जीवन में किए जाने वाले भेदभाव, शिशु हत्या, शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य के निवारण हेतु चलाई जा रही है। नकदी अंतरण बालिकाओं के परिवार (जहां तक संभव होगा माताओं को) को कुछ शर्तों के अधीन अर्थात् बालिका के जन्म का पंजीकरण, प्रतिकरण, स्कूल में नामांकन तथा पढाई जारी रखने की शर्तों को पूरा करने पर किया जाएगा।

11. **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम:** इस स्कीम को वर्ष 2010 में शुरू किया गया, इसका क्रियान्वयन प्रायोगिक आधार पर देश भर के 200 जिलों में किया जा रहा है। यह स्कीम 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, इसे सबला के नाम से भी जाना जाता है। यह स्कीम समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के मंच का उपयोग करते हुए कार्यान्वित की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्र इस स्कीम के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र बिंदु हैं। स्कीम के पोषण और गैर पोषण दो मुख्य घटक हैं। 11-14 वर्ष की स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं तथा 14-18 वर्ष की सभी बालिकाओं (स्कूल जाने वाली और स्कूल छोड़ चुकी) हेतु घर ले जाने वाले राशन के रूप में पोषाहार दिया जाता है। गैर पोषण घटक में 11-18 वर्ष की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को आई.एफ.ए. अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा परिवार कल्याण, बच्चों और घर की देखरेख के संबंध में परामर्श/मार्गदर्शन, जीवन कौशल शिक्षा एवं सार्वजनिक सेवाओं के लाभ उन तक पहुंचाना, व्यावसायिक प्रशिक्षण (16-18 वर्ष की किशोरियों के लिए) शामिल हैं। सबला स्कीम के क्रियान्वयन के लिए गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र इसके केन्द्र बिन्दु हैं, जहां स्कूल जाने वाली और स्कूल छोड़ चुकी बालिकाएं आपस में मिलती हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों में वे जीवन कौशल शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, अन्य सामाजिक-कानूनी मुद्दों की जानकारी प्राप्त करती हैं। वर्ष 2012-13 के लिए सबला हेतु 750 करोड़ रु. आवंटित किया गया है।

12. **बालिका विशिष्ट जिला कार्रवाई योजना:** बालिकाओं की जरूरतों के अनुसार यह एक समेकित प्रयास है। लगभग 100 गैर सबला स्कीम वाले जिलों में प्रायोगिक तौर पर बालिका विशिष्ट जिला कार्रवाई योजना को शुरू करके निम्न बालक बालिका अनुपात और उच्च बाल विवाह वाले जिलों/ब्लॉकों को ध्यान में रखकर इस प्रयास में शामिल हुआ जा सकता है। सिविल सोसायटी संगठनों तथा स्थानीय प्रशासनिक तंत्र के बीच भागीदारी के माध्यम से बढ़े हुए बालक बालिका अनुपात तथा विवाह की उम्र के दर्दनाक परिणामों के साथ बालिकाओं के अधिकारों में वृद्धि के मद्दे नजर कार्रवाई योजना का विकास किया जा सकता है।

13. **सक्षम:** सक्षम(आत्म निर्भर व्यक्ति) सबला की तर्ज पर किशोरों के समग्र विकास के लिए एक नई प्रस्तावित स्कीम है। प्रस्तावित सक्षम स्कीम का उद्देश्य यह होगा कि किशोरों का सर्वांगीण विकास हो ताकि वे आत्मनिर्भर महिलाओं के प्रति संवेदनशील और जागरूक नागरिक बन सकें। इस स्कीम का प्राथमिक लक्ष्य 10 वर्ष से 18 वर्ष तक के ऐसे किशोर होंगे, जो पढ़ने नहीं जाते हैं। स्थानीय पंचायत या नगर पालिका समिति इस स्कीम का मंच होगा। इस स्कीम हेतु वर्ष 2012-13 की अवधि के लिए 10 लाख रुपये का आवंटन किया गया है, जो स्कीम के निरूपण में व्यय किया जाएगा।

14. **अन्य स्कीमें (बाल कल्याण):** इनमें राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल बोर्ड, राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, बाल दिवस, अनुसंधान प्रकाशन, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, जो नवाचार परियोजना स्कीम भी कहलाती है, सूचना और जन-प्रचार माध्यमों तथा प्रकाशन हेतु किए जाने वाले प्रावधान शामिल हैं।

15. **महिला शिक्षा हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम:** इस स्कीम का क्रियान्वयन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य उन महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना है, जो विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने में असमर्थ होती हैं। इस स्कीम का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर स्कूल स्तर की परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

16. **कामकाजी महिला होस्टल:** इस स्कीम में कामकाजी महिलाओं तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरान्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रही छात्राओं को सुरक्षित एवं सस्ता आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह स्कीम महिला/समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य अभिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, महिला विकास निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

17. **प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप):** इस स्कीम का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे परम्परागत क्षेत्रों अथवा स्थानीय रूप से व्यवहार्य किसी अन्य क्षेत्र में महिलाओं के कौशलों में सुधार लाकर इन क्षेत्रों में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा उनकी आयोत्पादक क्षमताओं में वृद्धि करना है। स्थानीय रूप से उपयुक्त क्षेत्रों के आरंभ से स्कीम का क्षेत्र और विस्तार बढ़ाया गया है।

18. **केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड:** देश में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच मध्यस्थ के रूप में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। कई वर्षों से, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इस समय चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम, जागरूकता विकास कार्यक्रम, शिशुगृह स्कीम, परिवार परामर्श केन्द्र तथा अल्पावास गृह शामिल हैं। इन स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है।

19. **अल्पावास गृह:** यह स्कीम ऐसी महिलाओं और कन्याओं को अस्थायी आवास, रखरखाव एवं पुनर्वास सेवाओं द्वारा सुरक्षा और पुनर्वास मुहैया कराने के लिए है, जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनावों, सामाजिक बहिष्कार,

शोषण अथवा अन्य कारणों से सामाजिक और नैतिक संकटों का सामना कर रही हैं। इस स्कीम में चिकित्सा देखभाल परामर्श व्यावसायिक उपचार, व्यावसायिक तथा मनोरंजन कार्यक्रमों की सुविधाओं जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

20. **जागरूकता विकास कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं/समस्याओं का पता लगाने तथा उनके सम्मुख आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए उनमें संगठित होकर कार्य करने की भावना पैदा करना है। यह कार्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

21. **राष्ट्रीय महिला आयोग:** राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अधधीन एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। इसे महिलाओं का संरक्षण करने के लिए संविधान तथा कानूनों के तहत, मामलों की जांच एवं अन्वेषण करने का अधिकार प्राप्त है। यह शिकायतों की जांच करता और है महिला अधिकारों से वंचित करने संबंधी मामलों का स्व प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

22. **राष्ट्रीय महिला कोष:** राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना वर्ष 1993 में 31 करोड़ रुपये की प्रारंभिक कोरपस निधि से की गयी, जिसे वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अंतर्गत बिना किसी ऋणधार के अर्द्ध-औपचारिक सेवा तंत्र के माध्यम से निर्धन एवं वंचित महिलाओं को लघु ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें गैर-सरकारी संगठन, महिला सहकारिताएं और संघ आदि मध्यवर्ती संगठनों के रूप में कार्य करते हैं। वर्ष 2012-13 से इसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में परिवर्तित करके पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है।

24. **स्वाधार:** कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रही महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत को महसूस करते हुए, स्वाधार स्कीम वर्ष 2001-02 में शुरू की गई। स्कीम का उद्देश्य विधवाओं, देह-व्यापार की पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा निराश्रित महिलाओं का व्यापक पुनर्वास करना है। स्कीम में महिलाओं के लिए भोजन एवं आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सुविधाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्कीम में विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने का भी प्रावधान है। अब इस स्कीम को अल्पावासगृह में विलय करके पुनः 'स्वाधार गृह' नाम देने का प्रस्ताव है। कितने स्वाधार गृहों को स्वाधार गृहों में बदला जाएगा यह राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना मिलने पर निर्भर करता है।

25. **देह-व्यापार को रोकने की व्यापक स्कीम (उज्वला):** यह स्कीम, 2007 में शुरू की गई। इस स्कीम का उद्देश्य अवैध देह व्यापार का निवारण और अवैध व्यापार पीड़ित महिलाओं के बचाव, पुनर्वास व्यावसायिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार पीड़ितों को मुख्य धारा से पुनः जोड़ने और उनकी स्वदेश वापसी हेतु सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही है।

26. **प्रियदर्शिनी स्कीम:** यह स्कीम जिसे दिसम्बर 2007 में शुरू किया गया था, का लक्ष्य है देह व्यापार को रोकना और बचाव, पुनर्वास, सशक्तीकरण और देह व्यापार में फंसी पीड़ित महिलाओं को वापस समाज में लौटाना है। यह स्कीम मुख्यतः एनजीओ के जरिए चलाई जाती है।

27. **महिलोन्मुख बजट आयोजना एवं लैंगिक आंकड़े:** इस स्कीम में कार्यशालाओं का आयोजन करने तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों विभागों, राज्य सरकारों के विभागों तथा राज्य महिला आयोगों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थाओं आदि को महिलोन्मुख बजट आयोजना की अवधारणा, कार्यनीतियों एवं उपायों की जानकारी देने तथा विभिन्न पक्षों द्वारा महिलोन्मुख बजट आयोजना के अंगीकरण को सुगम बनाने हेतु प्रशिक्षण नियमावलियाँ तैयार करने का प्रावधान भी है। इस स्कीम में मंत्रालय में महिलोन्मुख बजट आयोजना व्यूरो गठित करने का प्रावधान है।

28. **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना:** वर्ष 2010-11 में शुरू की गई यह नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भधारण के 6 महीने के अंत से लेकर प्रसव के बाद 6 महीने तक सीधे नकद राशि प्रदान करने की पारिकल्पना की गई है। माता तथा बालक के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित विशिष्ट शर्तें पूरी करने पर गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को तीन किस्तों में 4000 रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम का अल्पकालिक उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और दीर्घकालिक उद्देश्य उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। शुरुआत में यह स्कीम प्रायोगिक आधार पर देश के 52 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम का प्रयास बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को हुई मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति करना है। वर्ष 2012-13 के लिए 52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 52 करोड़ रुपये शामिल हैं।

29. **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन:** यह राष्ट्रीय मिशन डा0 ए.आर. किदवई की अध्यक्षता में गठित राज्यपालों की समिति की सिफारिशों का परिणाम है। यह राष्ट्रीय मिशन अंतरमंत्रालयी संकेन्द्रण तंत्र होगा, जो महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं की महिला सशक्तीकरण संबंधी स्कीमों, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगा और विभिन्न पक्षों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। यह स्कीम वर्ष 2011-12 में शुरू की गई।

30. **महिला हैल्पलाईन:** इस बात को मानते हुए कि विपत्ति एवं कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को शीघ्र पहुंच की आवश्यकता होती है तथा उन्हें ऐसी समर्थन सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचना की जानकारी नहीं होती है अथवा वे इनका सहारा नहीं ले पाती हैं, सर्वसुलभ महिला हैल्पलाईन के सृजन के लिए कार्य करने का प्रस्ताव है।

12वीं योजना में 24 घंटे कार्य करने वाली महिला हैल्पलाईन, अधिमानतः अखिल भारत स्तर पर एक टोल फ्री नम्बर के साथ तथा सामाजिक-कानूनी सहायता प्रणाली युक्त कारगर कार्यालय के साथ स्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां पर घरेलू हिंसा, बलात्कार एवं महिलाओं के विरुद्ध अन्य अत्याचारों के पीड़ितों को केवल एक फोन पर सहायता उपलब्ध होगी। पुलिस, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों द्वारा चलाई जा रही मौजूदा हैल्पलाईनों को प्रस्तावित अखिल भारतीय हैल्पलाईन में समेकित कर दिया जाएगा। इस स्कीम का क्रियान्वयन महिलाओं के कल्याणार्थ कार्य कर रहे राष्ट्रीय संगठन अथवा राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से किया जाएगा।

31. **महिला अधिकारों पर दूरस्थ अधिगम कार्यक्रम:** महिलाओं को उनमें निहित अन्तःशक्ति जानने के लिए उनके अधिकारों एवं उनके हकों के बारे में जागरूकता आवश्यक है। मीडिया एवं पाठ्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस जरूरत को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करते हैं। इसलिए महिला अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी वाले स्वयं सेवकों अथवा कार्यकर्ताओं के एक पूल को विकसित किए जाने की जरूरत है, जो महिला अधिकारों के बारे में

जागरूकता फैलाने में सहायता कर सकते हैं। इस जरूरत को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में मानव ससाधन विकसित करने के लिए एक मुक्त विश्व विद्यालय के माध्यम से महिला अधिकारों के बारे में एक दूरस्थ अधिगम कार्यक्रम प्रायोजित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

32. **संकट निवारण एकल केंद्र:** हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए महिलाओं को अपनी बहुत सी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समर्थन की आवश्यक होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय महिलाओं हेतु 'संकट निवारण एकल केंद्र' को प्रायोगिक आधार पर विकसित करने की संभावना की जांच करेगा जो समेकित सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा जहां हिंसा की पीड़ितों को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, पुलिस मामला दर्ज करने में सहायता, प्रामर्श एवं भावनात्मक समर्थन पीड़िता एवं उसके बच्चों के लिए अस्थायी आश्रय तथा ठहरने की अवधि हेतु बुनियादी आवश्यकताओं जैसी विभिन्न जरूरतों को एक ही जगह पर पूरा किया जाएगा। बलात्कार एवं यौन प्रहार के पीड़ित भी इन केंद्रों से लाभ ले पाएंगे, जहां पर उन्हें चोट एवं आघात से निपटने के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी और प्रेरक एवं संवेदनपूर्ण वातावरण में उनका बयान लिया जा सकेगा। इन केंद्रों की स्थापना 2.5 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किए जाने का प्रस्ताव है।

33. **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन:** घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर, 2006 को लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों से संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करना, सेवा प्रदाताओं को पंजीकृत करना और चिकित्सा सेवाओं को अधिसूचित करना अपेक्षित है। इस अधिनियम के कारगर क्रियान्वयन में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता के लिए 12वीं योजना में एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार स्वतंत्र संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में उनके वेतन के लिए राज्य सरकारों के साथ 50:50 के अनुपात में भागीदारी करेगी। यह स्कीम परामर्श सुविधाओं/परिवार परमर्श केंद्रों की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान करेगी। इस स्कीम में अधिकारियों के क्षमता विकास और संरक्षण अधिकारियों को वाहन एवं मोबाइल लागत जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के भी घटक होंगे।

34. **अन्य कार्यक्रम (बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता और सहायक सेवाएं: पुनरूद्धारक न्याय की योजना):** यह स्कीम बलात्कार पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के साथ-साथ चिकित्सा, आश्रय, परामर्श आदि जैसी सहायक सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से पुनरूद्धारक न्याय देने के लिए है।

35. **राष्ट्रीय पोषण मिशन:** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। इसके बाद 2008 में भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों के संबंध में प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। परिषद की बैठक 24.11.2010 को आयोजित की गई थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा ये निर्णय लिए गए थे (i) आईसीडीएस योजना का सुदृढीकरण और पुनर्संरचना, (ii) सबसे अधिक समस्याग्रस्त (चुनिंदा 200 जिलों में मातृत्व तथा बालकों के कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए बहुक्षेत्रक कार्यक्रम की शुरुआत, (iii) कुपोषण के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की शुरुआत और (iv) संबंधित मंत्रालयों के कार्यक्रमों तथा स्कीमों में पोषण पर संकेन्द्रण करना। वर्ष 2012-13 के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपये शामिल हैं।

36. **अन्य स्कीमें (पोषण शिक्षा स्कीम):** : भारत सरकार ने वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय पोषण नीति अंगीकृत की तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पोषण हेतु नोडल मंत्रालय बनाया। खाद्य एवं पोषण बोर्ड मुख्यतः पोषण शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों तथा राष्ट्रीय पोषण नीति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई में संलग्न है।